सुविधाएँ

मध्यस्थता की कार्यप्रणाली को सफल बनाने के उद्देश्य से तीस हजारी, कड़कड़डूमा, रोहिणी, द्वारका और साकेत न्यायालय परिसरों में स्थित मध्यस्थता केन्द्रों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि शांतिपूर्ण व आरामदायक वातावरण में मामले की अनौपचारिकता व गोपनीयता को बनाए रखते हुए उससे जुड़े पक्षों के साथ, विचार–विमर्श किया जा सके। मध्यस्थता अधिकारी द्वारा तयशुदा तारीख और समय पर मध्यस्थता की कार्यवाही एक आरामदायक वातावरण में शुरू की जाती है और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मध्यस्थता केन्द्रों पर आने वाले वादियों और प्रतिवादियों को अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़े। समय की पाबंदी मामले से जुड़े पक्षों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। इन मध्यस्थता केन्द्रों पर ईमानदार, निष्ठावान और योग्य कर्मचारी हर समय जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं।

मध्यस्थता केन्द्रों के कमरे पूर्णतः वातानुकूलित हैं तथा साथ ही वादियों और प्रतिवादियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिसेप्शन पर चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि का भी इंतजाम किया गया है।